

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - ११५ / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, ०६/१०/२०२३.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री घो0सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.980 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/ 20005/2016।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर
केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/59/2021/एफ0सी0/ 95
दिनांक 22.04.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय
वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1355/12-1 (2) दिनांक 04.10.2023 द्वारा सूचित
किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 1355 / 121-2

बागेश्वर

दिनांक : 04/ 10 /2023

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय -

माननीय मुख्यमंत्री घो0सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.980 है0 तक वन भूमि का लोक निर्माण को गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ-

भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू.सी.पी./06/59/2021/एफ.सी./95 दिनांक 22.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० 1	The details of the road and muck disposal provided at para B2.4 in para I is found incorrect State Govt. may provide the correct information in this regard at component wise breakup at para B 2.4.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग की डिटेल् एवं muck disposal para B2.4 in para I सही कर दिया गया है।
2	State Govt. may mark the location of the beneficiary villages in the KML file. Further the village at end point are already connected with the road. In this view, State Govt may examine the proposal and if needed submit the revised proposal.	KML file में लाभान्वित गाँवों की लोकेशन मार्क कर दी गई है। दाड़िमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग के किमी 02 में कन्यालीकोट ग्रामसभा का तोक स्थालदुंगा पड़ता है जिसमें 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। इनका मुख्य बाजार बागेश्वर पड़ता है। कन्यालीकोट में इण्टर कालेज है तोक स्थालदुंगा के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए 3.00 किमी0 पैदल चलकर इण्टर कालेज कन्यालीकोट आते हैं। उक्त तोक के ग्रामवासी सड़क के अभाव में कृषि चिकित्सा, शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है एवं ग्रामवासियों का पलायन हो रहा है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण स्थालदुंगा तोक हेतु नितान्त आवश्यकता है। अतः मोटर मार्ग की आवश्यकता को देखते हुए Revised proposal को प्रस्तुत करना जनहित में सही नहीं होगा।
3	Village Level Committee (VLC) meeting proceedings of Darimkhet and Kanyalikot not found uploaded. State Govt. may upload the VLC meeting proceedings of Darimkhet and Kanyalikot village at para K in para I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि नैकाना खुमटिया (दाड़िमखेत) की (VLC) पूर्व अपलोड की गई है। ग्रामसभा कन्यालीकोट की (VLC) अपलोड कर दी गयी है।
4	Land schedule is taken as 9m. State Govt. may verify whether tree counting is done in 7m or 9m width.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव 9 मी0 में राबित किया गया है। मोटर मार्ग का निर्माण 7 मी0 में किया जायेगा एवं वृक्षों की गणना भी 07मी0 में की गयी है। मार्ग निर्माण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
5	State Govt. may submit/upload the enumeration list of trees falling in 0-30cm and 30-60cm. which is not	The enumeration list of trees falling in 0-30 cm and 30-60 cm has been uploaded online and hard copy is being attached.

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d kapkot .docx"

	submitted.	
6	In NPV calculation sheet, the density is mentioned for forest but rate charged for MDF. State Govt. may clarify and submit the correct information/document in this regard.	The NPV calculation sheet has been modified as per forest density and uploaded in online Part-II And hard copy is being attached.
7	It is seen from the muck disposal plan that 33285cum muck out of 34125 total muck proposed to be utilized which seems not correct, further, swell factor calculation is done for balance material instead of total muck. State Govt. is requested to examine the muck disposal plan and submit the same with detailed study duly authenticated by the concerned DFO.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि मक डिस्पोजन प्लान पुनः गठित कर दिया गया है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,



(उमेश चन्द्र तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर